CDM Watch
Scrutinizing Carbon Offsets

पारखी नज़र

सी डी एम पर एन जी ओ की आवाज़

अभिनन्दन

हमारे एन जी ओ की की पत्रिका "पारखी नज़र! सी डी एम पर एन जी ओ की आवाज़" के सी ओ पी पूर्व संस्करण में आपका स्वागत है।

कार्बन के दामों में लगातार गिरावट के साथ सभी जगहों पर इन्हें वापस लाने के प्रयत्नों पर चर्चा हो रही है। सी डी एम वॉच यह सुनिश्चित करेगा कि वह आपको उन सुझावों के विषय में चेतावनी देता रहेगा जो सी डी एम में व्याप्त कमियों को अनदेखा करते हैं व उन पहलों के विषय में भी जो कार्बन बाज़ारों को केवल अपने स्वार्थ के लिए सही करने के लिए हो रही हैं। अगले मौसम के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते (COP 18) के लिए नवम्बर के अन्त में दोहा, कतार में मिलने पर देशों को मूल बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। **हमारा संदेश साधारण व स्पष्ट है: देशों को तुरन्त अपने स्रावों को कम करने की प्रतिज्ञाओं को नाटकीय रूप से बढ़ाना होगा अन्यथा हमारे पास मौसम में बदलाव के दुष्प्रभावों से बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा।**

इस संस्करण में हम सी डी एम सुधार पैनल के सुझावों के विषय में सुनेंगे व क्यों उन्हें सावधानी के साथ लेने की आवश्यकता है। हम सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड के हाल के गलत निर्णयों पर भी नज़र डालेंगे जिसमें कोयले को सी डी एम में वापस लाना भी शामिल होगा। जो आगे आने वाला है वह निराशापूर्ण नहीं है परन्तु हमारी कोयले के लिए मौसम की आमदनी को रोकने की लड़ाई में शामिल होने का खुला निमन्त्रण है। हम आपका परिचय ई यू एमिशन ट्रेडिंग स्कीम (ई टी एस) के समक्ष आने वाली समस्याओं से भी करवाएँगे व आपको आने वाले सी ओ पी 18 के लिए तैयार करेंगे। हमारे India Network से प्राप्त मेहमान लेखों के द्वारा आप किसानों के जीवन पर वनारोपण प्रोजेक्टों के प्रभाव के विषय में सुनेंगे व यह भी जानेंगे कि किस प्रकार स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्टों को यदि ध्यानपूर्वक लागू न किया जाए तो स्थानीय समाज व जैव विविधता पर कितने दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। अन्त हम कुछ अच्छी खबर के साथ करेंगे जो कि सी डी एम में पुनचकण को मान्यता मिलना है।

पारखी नज़र! सी डी एम पर एन जी ओ की आवाज़ त्रैमासिक पत्रिका है जो अंग्रेज़ी, स्पैनिश और हिन्दी में अभियान की नवीनतम जानकारी के साथ दुनिया भर के नज़रियों से भरपूर उपलब्ध होती है। यदि आप पारखी नज़र के अगले संस्करण के लिए योगदान देना चाहते हैं या फिर आपके कोई सुझाव या टिप्पणी हैं तो कृपया antonia@cdm-watch **से सम्पर्क करें।**

In this issue अक्टूबर 2012

page 2. सुधार पैनल द्वारा सी डी एम की मूलभूत कमियों की अनदेखी

page 4. सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड ने अपने गलत निर्णयों से स्तब्ध किया

page 6. कोयले के लिए मौसम से आमदनी नहीं! हमारे संघर्ष में जुड़ें!

page 7. ई यू ई टी एस सुधारों का कठिन रास्ता

page 9. दोहा में मौसम का गर्म मिजाज़

page 11. नल्लाकोंडा विंड फार्म सी डी एम प्रोजेक्ट - एक अच्छे सिद्धान्त का ठीक से लागू न होना

page 14. कार्बन के अधिग्रहण से ग्रामीण आजीविका में सुधार

page 16. जो दिखाई देता है वह वास्तविकता से परे होता है - जे के पेपर मिल का ए एन्ड आर सी डी एम प्रोजेक्ट कम्पनी के लिए दोहरे लाभ व स्थानीय जनता के लिए नुकसान का है

page 17. सी डी एम में पुनचकण को मान्यता

पारखी नज़र
सी डी एम पर एन जी ओ की आवाज
सूचनापट्ट :

हमारे भारत के नेटवर्क से जुड़ें!
ऑनलाइन परिचर्चा में भाग लें!
'द फैंटम मैनेस' पेज 18

सुधार पैनल द्वारा सी डी एम की मूलभूत कमियों की अनदेखी

ईवा फिल्ज़मोज़र, डायरेक्टर, सी डी एम वॉच

सितम्बर में क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़म (सी डी एम) पॉलिसी डायलॉग के उच्च स्तरीय पैनल ने अपनी पहली निर्णायक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सी डी एम में सुधार लाने के लिए सुझाव थे। सम्पूर्णत: यह रिपोर्ट सी डी एम की मूलभूत कमियों को प्रस्तुत करने में नाकाम रही। यह गम्भीर रूप से राजनीतिक मतों पर आधारित है व महत्वपूर्ण अनुसंधान की भी अनदेखी करती है। इसमें हालांकि जवाबदेही को सुधारने, शिकायतें दर्ज कराने की प्रणाली स्थापित करने व सी डी एम को ऑफसेटिंग से आगे निकलने की ज़रूरत के विषय में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। हालांकि निर्णय लेने वालों को पैनल के कुछ सुझावों, जो केवल सी डी एम को अपने लिए बचाना चाहते हैं क्योंकि कार्बन बाज़ार एकदम गिर चुके हैं, के साथ सावधान रहने की ज़रूरत है।

पिछले आठ महीनों के दौरान सी डी एम पॉलिसी डायलॉग के उच्च स्तरीय पैनल ने साझेदारों के साथ चर्चाएँ करने के बाद कई रिपोर्ट निकाली हैं जो सी डी एम के विषय में निर्णय देती हैं व ऐसे सुझाव विकसित करती हैं जो सी डी एम को भविष्य के लिए मज़बूत बनाते हैं। साझेदारों के साथ चर्चा व एक अनुसंधान कार्यक्रम के बाद सितम्बर में सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड के समक्ष एक final report रखी गई। पॉलिसी डायलॉग के सदस्य सी ओ पी 18 में दोहा में इस आशा के साथ जाएँगे कि उनके सुझाव अन्तिम बातचीत में रखे व माने जाएँगे। उनके सकारात्मक सुझावों को अवश्य माना जाएगा परन्तु **सी डी एम वॉच यह सुनिश्चित करेगा कि भाग लेने वाले उन सुझावों पर विशेष ध्यान दें जो कि सी डी एम की मूलभूत कमियों की अनदेखी करते हैं व उन पहलों को जो कार्बन बाज़ारों को केवल अपने स्वार्थ के लिए ठीक करने के इच्छुक हैं।**

स्रावों की नकली कमी के कारण आपूर्ति में बढ़ोत्तरी होती है

पैनल की रिपोर्ट इस बात को उजागर करती है कि मौसम के लक्ष्यों में महत्वाकांक्षा की कमी होती है और सी डी एम के केडिट की मॉग में कमी जिसके कारण वर्तमान में दामों की कमी देखी गई है। हालांकि रिपोर्ट इस बात को नहीं कबूलती कि समस्या का एक हिस्सा सी डी एम के खुद के नियमों से उत्पन्न हुआ है। सी डी एम के नियमों के कारण बाज़ार उन प्रोजेक्टों के नकली केडिटों से भर गया है और प्रश्नचिन्ह लगे गैस प्रोजेक्टों के प्रयोग से जो कि किसी भी प्रकार बन जाते हैं। इन केडिटों के कारण केडिटों की आपूर्ति बढ़ गई है और दामों में अत्यधिक कमी आई है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सी डी एम की पर्यावरण अखंडता में कमी आई है। **यदि गैर अतिरिक्त प्रोजेक्टों के केडिटों का प्रयोग स्राव कम करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जाता है तो उसका परिणाम अन्तराष्ट्रीय स्रावों में बढ़ोत्तरी ही होगा।**

कई अनुसंधानों व तहकीकात वाली मीडिया की रिपोर्टों से पता चला है कि सी डी एम के काफी मात्रा में प्रोजेक्टों में अतिरिक्तता की कमी है। इस तथ्य को पैनल हालांकि नहीं मानता। मोहम्मद वल्ली मूसा जो पैनल के चेयरमैन है उन्होंने बोर्ड के सामने प्रस्तुति देते समय यह कहा कि "मोटे तौर पर प्रोजेक्ट अतिरिक्तता के परीक्षणों पर खरे उतरते हैं क्योंकि ये तथ्य अनुसंधानों के बाद सामने आए हैं।"

एक बार फिर से कार्बन बाज़ार के ढहने से यह बात सामने आई है कि कई सारे सी डी एम प्रोजेक्ट कारगर

अतिरिक्तता क्या है और वह क्यों ज़रूरी है?

विकास की स्वच्छ प्रणाली (क्लीन डेवेलपमेन्ट मैकेनिज़म ,सी डी एम) से वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय गैस स्रावों में कमी नहीं आती। मेज़बान देश में एक टन की स्राव में कमी के लिए एक निवेषक को अपने देश में एक टन अधिक स्राव करने की छूट है। यदि एक सी डी एम प्रोजेक्ट स्रावों में कमी नहीं ला पाता उस स्थिति की तुलना में जबकि स्राव वैसे भी होता (सामान्य व्यवसाय) तो वास्तविक रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्रावों में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सामान्य व्यवसाय वाले सी डी एम प्रोजेक्ट वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय स्रावों को बढ़ाते हैं। इसलिए अतिरिक्तता का यह सिद्धान्त सी डी एम के लिए आधारभूत है व किसी भी ऑफसेटिंग प्रणाली के लिए भी जो किसी के अन्दर काम करती है।

एक अनुमान के अनुसार 20 से 70 प्रतिशत सी डी एम प्रोजेक्ट गैर अतिरिक्त होते हैं। अत्यधिक विशाल ढाँचों वाले प्रोजेक्ट जहाँ पर कार्बन केडिट से आने वाली आय कुल लाभ का एक छोटा स हिस्सा होती है वे अक्सर अतिरिक्त नहीं होते। उदाहरण के लिए विशाल हायड्रो पावर व कोयला पावर प्रोजेक्ट बार बार सामान्य व्यवसाय करते देखे गए हैं।

होने के लिए अतिरिक्त सी डी एम के आर्थिक सहारे पर निर्भर नहीं होते। केडिट के दामों के इतने कम होने के चलते यह देखना बहुत मुश्किल लगता है कि प्रोजेक्ट किस प्रकार अतिरिक्त हो सकते हैं। **अतिरिक्तता के नियम में आधारभूत सुधार की आवश्यकता है। हालांकि बगैर महत्वाकांक्षी मौसम के लक्ष्यों के किसी ऑफसेट प्रणाली की आवश्यकता भी नहीं है।**

ग्रीन क्लाइमेट फन्ड को विंडफॉल लाभों को वित्तीय मदद नहीं देनी चाहिए

पैनल के अनुसार एक कोष (फंड) का निर्माण होना चाहिए जो केडिटों को खरीदेगा और इस तरह सी डी एम केडिटों की वर्तमान में बढ़ी हुई आपूर्ति के एक भाग को खारिज कर देगा। इससे औद्योगिक गैस व विशाल ढॉचों वाले प्रोजेक्ट जो कि ज़्यादा केडिट लेते हैं परन्तु जिनकी पर्यावरण अखंडता सीमित होती है व बहुत कम या नहीं के बराबर निरंतरता होती है उनको बहुत अधिक विंडफॉल लाभ होंगे। **कठोर नियमों के अभाव में जो कि केवल वास्तव में अतिरिक्त या निरंतरता वाले प्रोजेक्टों को ला सकते हैं सी डी एम को बचाने का कोई लाभ दिखाई नहीं देता और वह भी टैक्स भर रही जनता के खर्चो पर। स्रावों में कहीं अधिक कमी उन नए प्रोजेक्टों से आ सकती है जो प्रभावी मौसम योजनाएँ ला सकें।**

सी डी एम में आर ई डी डी को शामिल न किया जाए

पैनल के सुझाव के अनुसार आर ई डी डी यानि कि वनों के कटान व वनों के खराब होने से उत्पन्न स्रावों में कमी व वन प्रबन्धन की सी डी एम की अन्य पायलेट योजनाओं को मंजूरी दे देनी चाहिए जबकि आर ई डी डी को बहुत पहले से ही इस प्रोजेक्ट पर आधारित प्रणाली के लिए अनुपयुक्त माना जा चुका है। पैनल की रिपोर्ट ने इन प्रोजेक्टों से सम्बन्धित बहुत सीमित खतरों की ही पहचान की है व मुख्य मुद्दों को अनदेखा किया है व जिन खतरों की चर्चा यू एन एफ सी सी सी व सम्बन्धित लेखों में की गई थी जैसे कि स्रावों में कमी की गैर स्थायित्वता, केडिट की बेसलाइन तय करना, कार्बन रिसाव व अतिरिक्तता का प्रदर्शन या जैवविविधता व जीविकाओं पर होने वाले प्रभाव। **दोहा में यू एन एफ सी सी सी के सदस्यों को अचल रह कर आर ई डी डी को सी डी एम से बाहर रखना चाहिए।**

उद्धरण

उच्च स्तरीय पैनल के सी डी एम पॉलिसी डायलॅग पर कुछ सुझावों से निर्णय लेने वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है जो केवल अपने लिए सी डी एम को बचाना चाहते हैं क्योंकि भविष्य में कार्बन बाज़ार के ढहने की संभावना है।

निरंतरता के लाभों की जॉच व सत्यापन के लिए हरी झंडी

पैनल के सुझावों के अनुसार निरंतर विकास के प्रभावों को बताना चाहिए, उनकी जॉच होनी चाहिए व उनका सत्यापन तब तक होते रहना चाहिए जब तक सी डी एम प्रोजेक्ट चले व निरंतर विकास पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचावों को बढ़ाना चाहिए। पैनल ने स्थानीय चर्चा के तरीकों के विषय में मज़बूत मार्गदर्शन भी दिए हैं जिनका कि बहुत समय से इन्तज़ार था। सी डी एम वॉच इन सुझावों का स्वागत करती है हालांकि सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड का उतना नहीं। पैनल की रिपोर्ट की प्रस्तुति के बाद होने वाली मीटिंग में बोर्ड ने तय किया कि रिपोर्टिंग के लिए एक स्वैच्छिक मार्गदर्शन प्रणाली निर्धारित की जाए जो सी डी एम के प्रोजेक्टों के निरंतरता के लाभों में कुछ सुधार ला सकें।

सी डी एम को ऑफसेटिंग से आगे लेकर जाना

हालांकि पैनल के सुझावों के अनुसार सी डी एम को ऑफसेटिंग से आगे लेकर जाने की ज़रूरत है परन्तु रिपोर्ट में तुलनात्मक अध्ययन का अभाव है जहॉ पर हम अन्य पॉलिसी के साधनों से जैसे कि एमिशन ट्रेडिंग स्कीम (ई टी एस), कार्बन टैक्स या अन्य घरेलू पॉलिसियों से उसकी तुलना कर सकें। **अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैसों (जी एच जी) के स्रावों को कम करने की ज़रूरत को देखते हुए सी डी एम व बाज़ार की अन्य प्रणालियॉ केवल स्रावों के कुल रिसाव में कमी पर व मौसम के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर निर्भर हो सकती हैं न कि केवल ऑफसेटिंग पर।**

पैनल की रिपोर्ट को यहॉ से डाउनलोड कर सकते हैं ः http://www.cdmpolicydialogue.org/
http://www.cdmpolicydialogue.org/research

सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड ने अपने गलत निर्णयों से स्तब्ध किया

एंजा कॉल्मस, कार्बन बाज़ार विशेषज्ञ, सी डी एम वॉच

जब क्लीन डेवेलपमेन्ट मैकेनिज़म (सी डी एम) के एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड की बैंकॉक में सितम्बर में मीटिंग हुई तो 4500 से ज़्यादा सी डी एम के प्रोजेक्ट पंजीकृत हो चुके थे व एक बिलियन से ज़्यादा सी डी एम ऑफसेट केडिट या सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन (सी ई आर) जारी किए जा चुके थे। इसके साथ साथ सी ई आर के दाम घट कर 1.5 यूरो से भी कम हो गए थे। पॉइन्ट कार्बन जो कि एक स्वतन्त्र औद्योगिक विश्लेषक है उसने यह अनुमान लगाया है कि सन् 2020 तक सी ई आर के दाम घट कर 0.5 यूरो होने की संभावना है। बहुत ज़्यादा केडिट और कम मॉग का होना इस घटाव के कारण माने जा रहे हैं। यह दोगुने दुर्भाग्य की बात है कि बोर्ड द्वारा कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिनके द्वारा उन केडिटों की संख्या बढ़ेगी जो कि उन प्रोजेक्टों से आएँगे जिनकी पर्यावरण अखंडता पर प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है।

अभी तक अतिरिक्तता परीक्षण में कोई बेहतरी नहीं

सी डी एम बहुत से विशाल ढाँचे वाले प्रोजेक्टों को सहारा देता है जैसे कि बड़े बड़े पावर व औद्योगिक प्रोजेक्ट जो कि स्पष्ट रूप से अतिरिक्त नहीं हैं। इनसे मिले केडिटों को स्रावों में कमी दिखाने के लिए प्रयोग करने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्रावों में वृद्धि होती है। ऑफसेट केडिट से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए गैर अतिरिक्त सी डी एम प्रोजेक्ट के केडिटों को डर्बन में पिछली यू एन एफ सी सी सी में पार्टियों ने सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड से कहा था कि वे अपने किसी प्रोजेक्ट को "अतिरिक्त" (क्या वह सी डी एम के बगैर नहीं हो सकता था) तय करने के नियमों में सुधार लाएँ। एक स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद बोर्ड लगातार उन बेहतर तरीकों को अपनाने से बचता रहता है जिनके द्वारा अतिरिक्तता का प्रदर्शन करने वाली मूल गड़बड़ी सामने लायी जा सकती है। सामने आने वाले कई विकल्प कुछ मूल समस्याओं को दर्शाते हैं जैसे कि यह प्रोजेक्ट को यह दिखाना कि उसके चालू रहने के बजट का एक हिस्सा सी डी एम के ऑफसेट आमदनी से आएगा। **एक बार फिर से यह निर्णय दिखाता है कि पर्यावरण अखंडता सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड के लिए एक प्राथमिकता नहीं है।**

सी डी एम में कोयले के पावर प्लांटों की वापसी नवम्बर 2011 में सी डी एम कोयला पावर प्रोजेक्टों के केडिट नियमों को पर्यावरण अखंडता के प्रति चिंताओं को लेकर सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि सभी दिक्कतों व भद्र समाज की संस्थाओं के विरोध के बावजूद पिछली सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में उन्होंने एक बार फिर से संशोधित नियमों को लागू कर दिया जबकि सत्य यह था कि तब भी उन्होंने उन कमियों को सुधारा नहीं था। नए व बहुत अधिक प्रदूषण फैलाने वाले कोयला पावर प्लांटों को सी डी एम के तहत कार्बन केडिट मिल सकते हैं अपने इस दावे को लेकर कि वे सी डी एम की पहल से एक ज़्यादा बेहतर प्लांट का निर्माण करेंगे। एक अभूतपूर्व योजना के तहत बोर्ड ने यह तय किया कि उसकी तकनीकी शाखा मैथोडोलॉजी पैनल के द्वारा सुझाए गए कई सुरक्षा संरक्षकों को हटा दिया जाए। अब कई सौ यूरो करीब 40 से भी अधिक भारत व चीन के उन कोयला पावर प्लांटों में चले जाएँगे जो कि मान्यता प्राप्त करने के लिए इन्तज़ार में हैं। गैर अतिरिक्त व 'गन्दे' कार्बन केडिटों के सी डी एम के वित्त पोषण से अत्यधिक स्राव वाले कोयला पावर प्रोजेक्टों को सहारा मिलेगा जो मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला होगा **हम कोयले को सी डी एम से बाहर करने के लिए अन्तिम सॉस तक लड़ते रहेंगे** । अधिक जानकारी के लिए हमारे लेख ह्य कोयले के लिए मौसम से आमदनी नहीं! हमारे संघर्ष में जुड़ें! **को देखें।**

पिछली सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के मुख्य निर्णय:

- प्रोजेक्ट की अतिरिक्तता का परीक्षण करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को मानने से इन्कार;
- सी डी एम में कोयला पावर प्रोजेक्टों को वापस लेना;
- दीर्घकालिक विकास के लिए कमज़ोर स्वैच्छिक नियमों पर ज़ोर देना और ड्राफ्ट रिपोर्ट में से 'नुकसान नहीं' वाले खंड को हटा देना;
- साझेदारों की भागीदारी के सुधार पर कोई राय कायम न करना

दीर्घकालिक विकास के लिए कमज़ोर स्वैच्छिक नियम

यह स्पष्ट है कि सी डी एम अपने दूसरे लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा है जो है: दीर्घकालिक विकास की बढ़ोत्तरी। वर्तमान में इन ज़रूरतों को उनके मेज़बान देश ही पारिभाषित कर रहे हैं। कई बार में बहुत कमज़ोर व अस्पष्ट होते हैं। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड ने एक स्वैच्छिक उपकरण प्रस्तावित किया था जिसका प्रयोग दीर्घकालिक विकास के सह लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है।

सी डी एम वॉच इस उपकरण का सही दिशा में एक कदम होने का स्वागत करता है क्योंकि इससे रिपोर्टिंग करने में आसानी हो जाएगी। हालांकि जॉच, निगरानी व सत्यापन के अभाव में व इस उपकरण के स्वैच्छिक होने के कारण इसका औचित्य कम हो जाता है व इसकी उपादेयता भी सीमित हो जाती है। यह कमज़ोर उपकरण बोर्ड के इस निर्णय से और भी कमज़ोर पड़ जाता है कि उसने "कोई नुकसान नहीं" वाले बचाव के अंश को भी हटा दिया है। इससे जवाबदेही होती और व मानवाधिकार के प्रति ज़िम्मेदारी के लिए गुंजाइश होती।

अनुभवों ने दिखाया है कि जॉच व निगरानी, रिपोर्टिंग व सत्यापन की कमी के कारण सी डी एम के प्रोजेक्ट बगैर किसी दीर्घकालिक विकास के लाभों के पंजीकृत किए जाते हैं। कुछ प्रोजेक्टों के तो भयंकर रूप से नकारात्मक प्रभाव भी देखे जा चुके हैं।

एस डी टूल का ड्राफ्ट आप यहॉ से डाउनलोड कर सकते हैं : https://www.research.net/s/SD_tool_vers6

साझेदारों के साथ बेहतर चर्चा के ऊपर अभी भी कोई निर्णय नहीं हुआ है

सी डी एम के साझेदारों के साथ चर्चा अक्सर अपर्याप्त तरीके से कराई जाती हैं। इस संदर्भ में पारखी नज़र **2** में लेखों को देखें। स्थानीय चर्चा कैसे कराई जाएँ व एक स्वतन्त्र संस्था जिसके मार्गदर्शन में इन चर्चाओं का ठीक प्रकार से विश्लेषण हो सके वह मौजूद नहीं हैं और इस संदर्भ में स्पष्ट नियमों की कमी साफ देखी जा सकती है।

अपनी पिछली मीटिंग में बोर्ड ने स्थानीय व अन्तर्राष्ट्रीय साझेदारों की चर्चा प्रणाली में सुधार लाने वाले सुझावों की चर्चा ज़रूर की थी परन्तु अभी तक उसने किसी भी सुझाव का पालन नहीं किया है।

नियमों को स्पष्ट तौर पर यह तय करना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट प्रस्तावक गलत तरह से चर्चा कराएगा उसे क्या परिणाम भुगतने होंगे। यदि कोई प्रोजेक्ट प्रस्तावक लगतार बात को नहीं मानता है तो उन प्रोजेक्टों को सकारात्मक सत्यापन नहीं मिलना चाहिए और वे पंजीकृत नहीं होने चाहिएँ। यदि प्रोजेक्ट के पंजीकृत होने के बाद भी कोई सही चिंताएँ जैसे कि मानवाधिकार उल्लंघन जैसा कुछ सामने आता है तो उन प्रोजेक्टों को सस्पेन्ड करके उन्हें इसके बाद कोई सी ई आर नहीं दिए जाने चाहिएँ।

हमें कड़े से कड़े नियमों को लाने की पैरवी करते रहना चाहिए ताकि वर्तमान स्थिति को सुधारा जा सके। ये सुधार बहुत समय से लंबित हैं व बोर्ड की अगली मीटिंग जो कि दोहा में होने वाली यू एन एफ सी सी सी ओ पी **18** के पहले होगी उसमें पारित हो जाने चाहिएँ।

इन सभी मुद्दों पर हमारी विस्तृत टिप्पणियॉ आप यहॉ से डाउनलोड कर सकते हैं: http://cdm.unfccc.int/public_inputs/2012/eb69_10/index.html

कोयले के लिए मौसम से आमदनी नहीं! हमारे संघर्ष में जुड़ें!

एन्टोनिया वॉर्नर, नेटवर्क कोओरडिनेटर, सी डी एम वॉच

पिछले महीने कोयले को सी डी एम में वापस ले आया गया। हॉ, ठीक सुना आपने, सभी सबूतों के बावजूद नए बहुत अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पावर प्लांट एक बार फिर से कार्बन केडिट पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सैद्धान्तिक रूप से यूरोप में कोयले की मदद से चल रहा एक पावर प्लांट अपने स्रावों की कमी की भरपाई भारत के किसी अन्य गन्दे कोयले के प्लांट के माध्यम से कर सकता है। यह बहुत ही निरर्थक स्थिति है! यह सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड के द्वारा हाल के समय में लिया गया सबसे बेकार निर्णय है। यह वास्तव में नए कोयले के पावर प्लांटों का निर्माण करने के लिए भी आर्थिक सहायता देकर मदद करने को तैयार है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। कोयले के लिए अब कोई आर्थिक सहायता नहीं!

वर्तमान में डी एम के अन्तर्गत 6 पंजीकृत कोयले के पावर प्रोजेक्ट हैं। ये सभी सामान्य व्यापार वाले प्रोजेक्ट हैं जिसका अर्थ है कि इनका निर्माण बगैर सी डी एम के भी हो गया होता। आने वाले 10 वर्षो में ये करीब 90 मिलियन के अयोग्य कार्बन केडिट अर्जित कर लेंगे। परन्तु आशा अब भी बाकी है! पिछले कई वर्षो से सी डी एम वॉच ने इन प्रोजेक्टों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया है जिसके परिणामस्वरूप 4 प्रोजेक्ट रद्द कर दिए गए व 10 प्रोजेक्टों ने अपनी सत्यापन प्रकिया समाप्त कर दी। परन्तु पर्यावरण की जीत अभी भी काफी दूर है। अभी भी 26 प्रोजेक्ट सत्यापन की प्रकिया के बीच में हैं व वे कभी भी पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक साथ कुल मिलाकर ये सब आने वाले दस सालों में 220 मिलियन कार्बन केडिट जोड़ सकते हैं।

ई यू ई टी एस में कोई कोयला ऑफसेट नहीं

कार्बन बाज़ार की वर्तमान स्थिति में जहॉ एक कार्बन केडिट की कीमत 1 अमरीकन डॉलर से भी कम है। आप शायद यह प्रश्न करें "इसमें क्या परेशानी है?"। इसका जवाब कुछ इस तरह से होगा : वर्तमान में पंजीकृत 6 कोयला पावर प्लांटों से अर्जित कार्बन केडिट अपने ऑफसेट यूरोपीयन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को बेच सकते हैं। 2012 के बाद पंजीकृत नए प्रोजेक्ट ई यू ई टी एस के लिए तब ही योग्य हैं जब वे सी डी एम प्रोजेक्ट लीस्ट डेवेलप्ड कन्ट्रीज़ (एल सी डी) में हों। कोयले के सभी सी डी एम पावर प्रोजेक्ट अभी वर्तमान में चीन या भारत में ही हैं।

इसलिए यह ज़रूरी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि

1)इस वर्ष के अन्त तक और कोई नए कोयला पावर प्रोजेक्ट पंजीकृत न हों और
2) ई यू पहले से पंजीकृत कोयला पावर प्रोजेक्टों के कार्बन केडिट रद्द कर दे।

किसी भी कोयला ऑफसेट को ई यू में या कहीं और भी मौसम के लक्ष्य प्राप्त न हों!

परन्तु यह काफी नहीं है। ई यू में स्रावों में कमी का केवल आधा ही उसके ई टी एस के अन्तर्गत आता है। बाकी के आधे का नियन्त्रण "मेहनत को बॉटने के निर्णय" के स्राव कम करने के नियमों के अनुसार

कोयले से सम्बन्धित कुछ तथ्य

कोयले से जनित 1 किलो वॉट बिजली से 1 किलो कार्बन डाय ऑक्साइड उत्पन्न होती है।

कोयले से प्राप्त बिजली प्राकृतिक गैस से प्राप्त बिजली की तुलना में दोगुनी कार्बन डाय ऑक्साइड उत्पन्न करती है।

संसार की 40 प्रतिशत से भी ज़्यादा बिजली कोयले से बनाई जाती है।

कोयले के सम्पूर्ण रूप से जलने पर 12 गीगा टन कार्बन डाय ऑक्साइड स्राव प्रति वर्ष होता है जिसमें से कि दो तिहाई बिजली के निर्माण से आता है।

कोयला अर्न्तराष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस स्रावों (जी एच जी) का 25 प्रतिशत है (आई ई ए 2010 सौजन्य)

होता है जिनमें वे क्षेत्र आते हैं जो ई टी एस के अन्तर्गत नही आते जैसे कि खेती व यातायात। इन क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय ई यू सरकारें यह तय कर सकती हैं कि वे अपने स्रावों में किस प्रकार कमी लाएँगी। सरकार 50 प्रतिशत से अधिक अर्न्तराष्ट्रीय ऑफसेट से कमी को खरीद सकती है। तो यदि 2013 के पहले कुछ कोयला प्रोजेक्ट पंजीकृत हो भी जाते हैं तो ई यू के सदस्य देश तब भी 2013 के बाद पंजीकृत कोयला पावर प्लांट के ऑफसेट केडिट खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू ज़ीलैंड व दक्षिण कोरिया में एमिशन व्यापार की नई स्कीमें भी निकल रही हैं जो कि इन्हें ई यू ई टी एस से जोड़ने के विषय में भी विचार कर रही हैं। इसके आगे अर्न्तराष्ट्रीय उड्डयन क्षेत्र में भी अपने स्रावों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं जैसे कि पर्यावरण के अनुकूल हवाई जहाजों का निर्माण करना। परन्तु इसे बहुत खर्चीला तरीका समझा जाता है। वे ऐसा केवल ऑफसेट प्रोजेक्टों में निवेश करके करना चाहते हैं ताकि बाकी के बचे हुए सी डी एम कोयला पावर प्रोजेक्ट उसके अन्तर्गत आ जाएँ।

इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है कि : हमें तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता है और कोयले को खदेड़ कर सी डी एम के बाहर करना है! हमारे साथ antonia@cdm-watch पर जुड़ कर कोयले के लिए मौसम से आमदनी के विरूद्ध संघर्ष का हिस्सा बनें।

ई यू ई टी एस सुधारों का कठिन रास्ता

एडीला पुटिनेलू , सी डी एम वॉच इन्टर्न

यूरोपीयन यूनियन को मौसम में बदलाव की अर्न्तराष्ट्रीय सौदेबाज़ी में अग्रणी माना जाता है। औद्योगिक स्रावों में से ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में उसका मुख्य उपकरण यूरोपीयन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग स्कीम (ई यू ई टी एस) है। हालांकि ई यू ई टी एस की कारगरता पर बहुत संख्या में एमिशन परमिट देने के कारण प्रश्नचिन्ह लग गए हैं। परन्तु फिर भी यह अन्य अर्न्तराष्ट्रीय कार्बन बाज़ारों के विकास के लिए मुख्य मॉडेल माना जाता है व मौसम में बदलाव की योजनाओं के निर्माण को प्रभावित करता है।

अन्ततः कार्बन बाज़ार के कोई भी सुधार का मतलब तभी पूरा होता है जब वह मौसम के लक्ष्यों से बँधा हो

इतिहास पर शीघ्रता से एक नज़र

ई यू ई टी एस सन **2005** में दो वर्ष के पायलेट पीरियड के लिए शुरू किया गया था। कोयोटो प्रोटोकॉल की वचनबद्धता की पहली अवधि की ही तरह दूसरा फेज़ **2008** से **2012** तक चला। जनवरी **2013** से ई टी एस अपने तीसरे फेज़ में चला जाएगा जो कि **2020** तक चलेगा। करीब **11000** पावर स्टेशनों व **30** देशों में औद्योगिक प्लांटों के साथ (ई यू के **27** सदस्य देश, लिचेन्स्टन्सिटीन, नॉर्वे और आइसलैन्ड) ई टी एस वर्तमान में स्रावों के व्यपार का सबसे बड़ा बाज़ार माना जाता है। परन्तु फिर भी ई टी एस के सामने कई चुनौतियाँ हैं जो कि यूरोप में अब भी चल रही आर्थिक मन्दी के कारण और भी मुश्किल हो गई हैं।

एमिशन पर्मिट (स्राव आज्ञा पत्र) की भूमिका

'सीमा लगाकर व्यापार' के आधार पर बाज़ार कार्य करता है। किसी भी औद्योगिक इकाई के द्वारा बाहर निकाले जाने वाले कुल स्रावों पर एक 'सीमा' निर्धारित कर दी जाती है। कम्पनियों को इसके आधार पर स्राव आज्ञा पत्र दिए जाते हैं यदि वे इस सीमा के भीतर स्राव निकालती हैं तब। इसके बाद उनके पास यह विकल्प होता है कि या तो वे नई हरी तकनीकों में निवेश करके स्रावों को कम करें या फिर प्रदूषण फैलाते रहें और अन्य अतिरिक्त भत्ते वाली कम्पनियों के अतिरिक्त भत्ते को खरीदते रहें। धीरे धीरे कम होते जाने वाली सीमा या उपलब्ध सीमा के द्वारा भत्ते की सीमितता को नियन्त्रित किया जाता है व परिणामस्वरूप सम्पूर्ण जी एच जी में भी कमी आती है। यहाँ समस्या यह आती है कि अनुमानित स्राव कभी भी आर्थिक मन्दी के कारण होने वाले औद्योगिक उत्पादन में कमी की गणना नहीं करते। इसके साथ साथ पहले व दूसरे फेज़ (**2005** से **2012**) को मुफ्त में ही पर्यावरण को दूषित करने वालों को बॉट दिया गया था। इसके कारण ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था और फिर उन्हें ये आज्ञा पत्र खुले दिल से बॉट दिए गए थे। फेज़ **3** में ऊर्जा के क्षेत्र में पर्मिटों की बोली लगाई जाएगी और यहाँ पर बचाव के कई रास्ते भी उपलब्ध होंगे। उदाहरण के लिए कमिशन **2019** तक पावर जेनेरटरों का **10** सदस्य देशों को **70** प्रतिशत तक मुफ्त वितरण करेगी ताकि उनके ऊर्जा क्षेत्रों का नवीनीकरण हो सके।

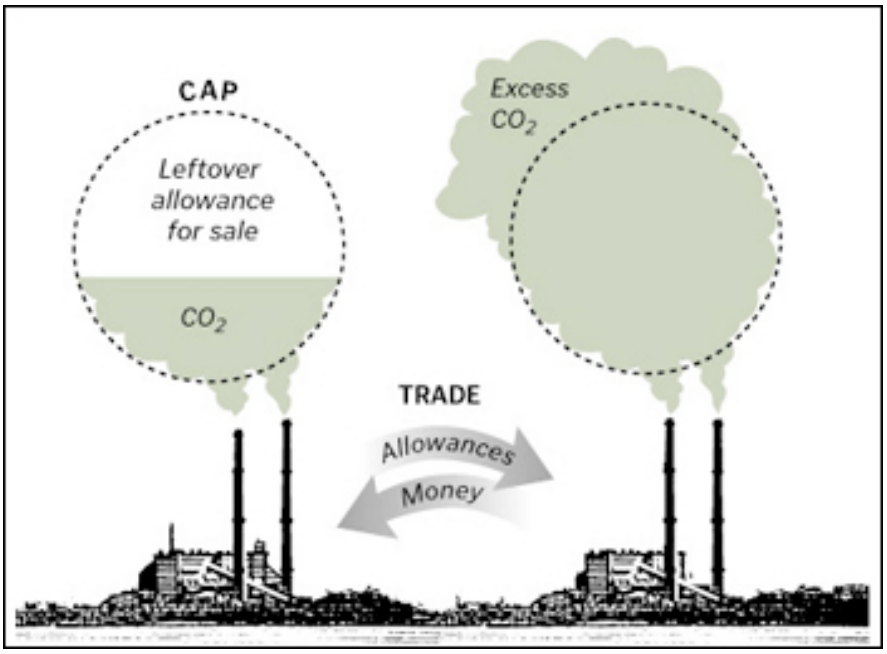

कैप व व्यापार का सिद्धान्त कैसे काम करता है

अत्यधिक आपूर्ति से सावधान!

2009 के बाद से पर्मिटों की अत्यधिक आपूर्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अभी अनुमानत: वह करीब **2** बिलियन टन कार्बन डाय ऑक्साइड है। इस खराब स्थिति का मुख्य कारण भत्तों का बाहुल्य व अर्न्तराष्ट्रीय केडिटों का उपलब्ध होना होता है जो कि **2009, 2010** व **2011** में सत्यापित स्रावों से कहीं ज़्यादा थे। **।क्योंकि आपूर्ति अधिक व मॉग कम है इसलिए कार्बन के दामों में भारी कमी आती जा रही है जिसके कारण ई यू की मौसम योजना के सामने चुनौती आ रही है और ई टी एस के एक सही योजना प्रणाली के होने पर प्रश्नचिन्ह भी लग रहे हैं** । ई यू के निर्णय लेने वाले लोग अब ई टी एस में सुधार लाने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। जो मुद्दे अब दॉव पर लगे हैं वे हैं : बाज़ार में भत्तों की अधिक आपूर्ति से निपटना व एक ढॉचागत तरीका एक स्थिर कार्बन बाज़ार के लिए बनाना और साथ साथ ऐसी स्थितियों का निर्माण करना जो कि कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बना सके व स्वच्छ तकनीकों में निवेश करना।

क्योंकि आपूर्ति अधिक व मॉग कम है इसलिए कार्बन के दामों में भारी कमी आती जा रही है जिसके कारण ई यू की मौसम योजना के सामने चुनौती आ रही है और ई टी एस के एक सही योजना प्रणाली के होने पर प्रश्नचिन्ह भी लग रहे हैं

सुधार का कठिन रास्ता

यूरोपीयन कमीशन का एक प्रोपोज़ल नवम्बर **2012** में प्रस्तावित है जो कि **2013** में आज्ञा पत्रों की बोली लगाने में देरी करने का विचार लाएगा। यह 'अलग रखना' इसलिए किया जा रहा है ताकि कमी बढ़े और नतीजतन कार्बन के दामों में बढ़ोत्तरी हो। हालांकि इस योजना का पोलैन्ड की और से बहुत विरोध किया गया है और वह अन्य देशों को भी इस प्रकार के प्रस्तावों के प्रति भड़का रहा है। पोलैन्ड की अर्थव्यवस्था कोयले पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और अन्य पूर्वी यूरोपियन देशों के साथ मिलकर उनके पास बगैर इस्तेमाल हुए भत्ते का भंडार है जिसका वे प्रयोग करना चाहते हैं।

एक अस्थाई अलग से रखा हुआ भत्ता या स्थाई रूप से हुई कमी से कार्बन का दाम बढ़ेगा व यह सुनिश्चित होगा कि बाज़ार कोयोटो प्रोटोकॉल के अन्तर्गत मौसम के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। परन्तु पोलैन्ड जैसे देश ऐसी किसी भी योजना का पुरज़ोर विरोध करने में लगे हुए है जो कि कार्बन का दाम बढ़ाएँगी क्योंकि उनका मानना है कि यूरोपियन बाज़ार एक स्वतन्त्र बाज़ार को गैर कानूनी तरीकों से नियन्त्रित करने का प्रयत्न कर रहा है।

यह कार्बन बाज़ार के समक्ष कई चुनौतियों में से एक है। उसके कम्पनियों को पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले व

सामजिक समस्याओं वाले ऑफसेटों को ई टी एस के अन्तर्गत मानने से ई यू ने पहले से ही कुछ प्रकार के प्रोजेक्टों (जैसे कि एच एफ सी या एन ओ 2 प्रोजेक्टों पर बैन) पर अन्तर्राष्ट्रीय केडिटों पर रोक लगा दी है। हालांकि वर्तमान में प्रचलित सी डी एम के अतिरिक्तता का परीक्षण करने के तरीकों के साथ गंभीर समस्याओं को देखते हुए सी डी एम प्रोजेक्टों के कार्बन ऑफसेट का बहुत अधिक प्रतिशत वैसे भी गैर अतिरिक्त ही होगा जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्राव तो बढेंगे ही। इसके साथ साथ पंजीकृत कोयला पावर प्रोजेक्टों से मिलने वाले कार्बन केडिट भी गैर अतिरिक्त कार्बन केडिटों को बढ़ाएँगे जो कि पहले से ही अधिक आपूर्ति वाले बाज़ार में मौजूद हैं। इसके लिए यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि उन देशों के जाइन्ट इम्पलीमेन्टेशन (जे आई) वाले प्रोजेक्टों के ऑफसेट केडिट जिन्होंने कि कोयोटो प्रोटोकॉल की दूसरी अवधि के लिए हस्ताक्षर नहीं किए हैं उन पर ई यू ई टी एस में व्यापार करने की रोक होगी। दबाव बढ़ता जा रहा है और आशा है कि भविष्य में सुधार की सीमाएँ और बढ़ेंगी।

जहाँ कि यह सत्य है कि ई यू ने चारों ओर उद्योगों पर जी एच जी कम करने के लिए सफलतापूर्वक नियमों को लागू किया है, वहीं यह भी सत्य है कि आगे का रास्ता बहुत कठिन है। दोहा में यू एन एफ सी सी सी के पहले ई यू का कार्बन बाज़ार दामों में भारी कमी का सामना कर रहा है और केवल कार्बन में नीची अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना बहुत मुश्किल काम है। सदस्य देश इस संदर्भ में अपने अलग अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से इस समस्या को सुलझाने के प्रयास कर रहे हैं। ई टी एस के बाज़ार के ढाँचागत निर्माण व बॉटने की सम्याओं के विषय में सोचने से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय केडिटों के सीमित प्रयोग के लिए मेज़बानों के कड़े प्रयासों से कार्बन बाज़ार में सुधार लाए जा सकते हैं। अन्त में कोई भी कार्बन बाज़ार में लाया जाने वाला सुधार तभी पूरा हो सकता है जब उसके साथ रोक लगाने वाले मौसम के लक्ष्य हों।

दोहा में मौसम का गर्म मिजाज़

एन्जा कॉल्मस, कार्बन बाज़ार विशेषज्ञ, सी डी एम वॉच

DOHA 2012
UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE
COP18·CMP8

इस समय कार्बन बाज़ार काफी निचले स्तर पर हैं और एक लचीली प्रणाली कही जाने वाली इस प्रणाली का भविष्य बहुत खतरे में है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कार्बन बाज़ार ढह रहे हैं; हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि कमज़ोर कसमें वादे व आर्थिक मंदी वैसे भी हमारे लिए स्रावों में कमी ला रही है। अगली अन्तर्राष्ट्रीय मौसम बातचीत (सी ओ पी 18) दोहा, कतार में नवम्बर के अन्त में होने वाली है। दो सप्ताह तक 200 से भी ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि इस संसार के भविष्य को लेकर समझौता वार्ता करेंगे। हमारा संदेश स्पष्ट व सरल है: देशों को अपनी स्राव कम करने की प्रतिज्ञाओं को तुरन्त नाटकीय ढंग से बढ़ाना होगा नहीं तो हममें से कोई भी मौसम में बदलाव के दुष्प्रभावों से संसार को नहीं बचा पाएगा।

यहाँ पर अब मौसम गर्मा रहा है

क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़म (सी डी एम) व जॉइन्ट इप्लीमेन्टेशन (जे ई) प्रोजेक्टों के ऑफसेटों के दाम गिर कर 1 यूरो प्रति टन से नीचे पहुँच गए हैं जबकि यूरोप की 'सीमा लगाकर व्यवसाय' प्रणाली जो कि इस प्रकार व्यवसाय करने की अपने में एकमात्र प्रणाली है में इस समय इतनी अधिक आपूर्ति है कि यदि ई यू बीच में आकर

हमारा संदेश साधारण व स्पष्ट है: देशों को तुरन्त अपने स्रावों को कम करने की प्रतिज्ञाओं को नाटकीय रूप से बढ़ाना होगा अन्यथा हमारे पास मौसम में बदलाव के दुष्प्रभावों से बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा।

मध्यस्थता नहीं करता है तो यह भी अस्पष्ट हो जाएगा कि ई यू ई टी एस भी बच पाएगा या नहीं। इस ढहने का मुख्य कारण उन स्रावों की कमी के लक्ष्यों का अत्यधिक कमज़ोर होना जिनके लिए कि अमीर देश पहले से वचनबद्ध हैं।

यदि लक्ष्य स्रावों से अधिक तब होते हैं जब देश 'सामान्य व्यापार' के पथ पर ही स्रावों को भी लेकर जाते हैं। यह 2020 तक बहुत सी नई 'गर्म हवा' को जन्म देगा। इसको उदाहरण देकर इस तरह समझाया जा सकता है: किसी देश का 2020 तक के लिए स्रावों को कम करने का लक्ष्य अपने 1990 के स्राव स्तर से 10 प्रतिशत कम है परन्तु फिर भी उसके स्रावों का अनुमान 2020 में 1990 की तुलना में 15 प्रतिशत कम दिखाया जा रहा है। इसका अर्थ हुआ कि वह देश पहले से अधिक स्राव निकालने के लिए वचनबद्ध है। इसके कारण 'गर्म हवा' जमा होती जाती है: बहुत कमज़ोर प्रतिज्ञा के कारण बचे हुए स्रावों के पर्मिट दिए जाते हैं।

इसके साथ साथ पुन: पैदा होने वाली ऊर्जा व ऊर्जा बचाने के तरीकों को अपना कर नई नौकरियाँ पैदा करने के स्थान पर हमें नौकरियाँ खोनी पड़ रही हैं और कई देशों में तो लोगों को अपने परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। **इसलिए हमारा संदेश स्पष्ट व सरल है: देशों को अपनी स्राव कम करने की प्रतिज्ञाओं को तुरन्त नाटकीय ढंग से बढ़ाना होगा नहीं तो हममें से कोई भी मौसम में बदलाव के दुष्प्रभावों से संसार को नहीं बचा पाएगा।**

वचनबद्धता की दूसरी अवधि का औचित्य

पार्टियों को अभी इस बात का निर्णय लेना बाकी है कि कोयोटो प्रोटोकॉल (के पी सी पी 2) के अन्तर्गत वचनबद्धता की दूसरी अवधि होनी चाहिए कि नहीं। अभी तक केवल ई यू व केवल कुछ अन्य छोटे देशों ने ही सार्वजनिक रूप से यह एलान किया है कि वे के पी सी पी 2 में भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैन्ड अभी भी सीमा पर ही खड़े हैं। अमरीका, कैनेडा, जापान और रशिया ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह इसमें भाग नहीं लेंगे। **यदि हमें के पी सी पी 2 नहीं मिलता है तो वह स्राव निकालने वाले मुख्य खिलाड़ी बाहर हो जाएँगे व यह बहुत ही दयनीय व अनुपयुक्त प्रतिज्ञाओं पर आधारित होगा। हालांकि एक कमज़ोर के पी सी पी 2 का होना एक बहुपक्षीय प्रक्रिया के एकदम टूट कर बिखर जाने से बेहतर होगा। ऐसा नतीजा इन देशों के हाथों में खेलने जैसा होगा जो कि कोई कार्यवाही नहीं करना चाहतीं।**

क्लीन डेवेलपमेन्ट मैकेनिज़्म (सी डी एम) व जॉइन्ट इप्लीमेन्टेशन (जे ई)

कार्बन बाज़ार के मुद्दों पर समझौता दोहा में समझौतों के अनेक रास्तों के माध्यम के द्वारा किया जाएगा। सभी पार्टियाँ अपने सुझाव सी डी एम व जे आई को बनाए रखने व सुधारने के विषय में देंगी। देशों ने अभी यह तय नहीं किया है कि वचनबद्धता की अगली अवधि में कौन कौन सी डी एम व जे आई के केडिटों को प्रयोग कर पाएगा। सी डी एम वॉच का मानना है कि केवल वही देश जो कि के पी सी पी 2 का हिस्सा बनेंगे उन्हें ही ऐसे ऑफसेट केडिटों को खरीदने व बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। यह अन्य देशों को भी मौसम से जुड़े लक्ष्यों से बँधने के लिए प्रोत्साहित करेगा। पार्टियाँ कार्बन को बाँधने व उसके भंडारीकरण, वनारोपण प्रोजेक्टों व अपील करने के तरीकों से सम्बन्धित नियमों के विषय में भी चर्चा करेंगी। **हम इस सब पर कड़ी नज़र रखेंगे व दोहा की बातचीत से पहले के सभी सुझावों को प्रकाशित भी करेंगे।**

जे आई सी डी एम के छोटे व शैतान भाई के जैसा है: वह उन देशों में ऑफसेट प्रोजेक्ट की अनुमति देता है जिनका कोयोटो प्रोटोकॉल के अन्तर्गत स्रावों को कम करने का दायित्व है। हालांकि दुर्भाग्यवश जे आई ने कई सौ ऐसे केडिट दिए हैं जो कि ऐसे प्रोजेक्टों के लिए हैं जो जे आई के बगैर भी चालू हो जाते। जे आई के नियम कमज़ोर हैं व मेज़बान देश जितने चाहें उतने केडिट जारी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हाल में यूक्रेन ने 18 मिलियन जे आई केडिट जारी किए हैं। **जे आई प्रोजेक्टों को कड़ाई से केवल उन देशों तक सीमित करना चाहिए जिन्होंने अपने 2012 के स्तर से स्राव कम करने की प्रतिज्ञा ले रखी है।**

बाज़ार की नई प्रणालियाँ

पिछले वर्ष दक्षिण अफ्रीका में सी ओ पी 17 में पार्टियों ने यह तय किया था कि एक नई 'बाज़ार पर आधारित प्रणाली' बनाई जाए और एक 'विभिन्न तरीकों के ढाँचे' का निर्माण हो ताकि स्थानीय तरीकों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के केडिटों की एक न्यूनतम ज़रूरत बनाई जा सके। दोनों मुद्दों पर ही इस साल की मीटिंगों में कोई खास प्रगति नहीं देखी गई। पार्टियाँ इस बात को लेकर सहमत नहीं हैं कि नई बाज़ार प्रणालियों की कितनी अनदेखी की जाए व उनकी गुणवत्ता पर नियन्त्रण कैसे हो। दोहा में भी विस्तृत नियमों पर कोई सहमति बन पाएगी यह भी निश्चित नहीं है। यह काफी परेशान करने वाली बात है कि ई यू व कुछ अन्य देश क्यों बाज़ार पर आधारित नई प्रणालियों को लाना चाह रहे हैं जबकि ऐसे केडिट के लिए कोई माँग भी नहीं है और ई यू अपने ई यू ई टी एस में ही सुधार नहीं ला पा रहा है। हालांकि कई सारे राष्ट्रीय व क्षेत्रीय व्यापार प्रणालियाँ यू एन एफ सी सी सी से मुक्त होकर विकसित हो रही हैं।

13 बिलियन कोयोटो प्रोटोकॉल अतिरिक्त पर्मिट - एक दानवीय समस्या

कोयोटो प्रोटोकॉल के अन्तर्गत असाइन्ड अमाउन्ट यूनिट्स (ए ए यू) व्यापार के एमिशन पर्मिट होते हैं। 1 ए ए यू एक देश को 1 टन कार्बन डाय ऑक्साइड के बराबर का स्राव करने की इजाज़त देता है। प्रोटोकॉल के वर्तमान नियमों के अनुसार देश अपने सभी बचे हुए स्राव भत्ते को वचनबद्धता की अगली अवधि में लेकर जा सकता है।

वचनबद्धता की पहली अवधि (2008 से 2012: के पी सी पी 1) का बचा हुआ भत्ता अनुमानत: 13.2 बिलियन टन कार्बन डाय ऑक्साइड है। रशिया (5.8 टन), यूक्रेन (2.6) व पोलैन्ड (0.8) सबसे बड़े बचे हुए को रखने वाले हैं। यह बचा हुआ **अनुमानित माँग से करीब एक हज़ार गुना अधिक है।** बैंकॉक में हाल की (अगस्त 2012) बातचीत में जी 77 व चीन ने इस बचे हुई माता को पार लगाने का बहुत रोचक प्रोपोज़ल दिया था। यह इसे केवल घरेलू इस्तेमाल में लाने की इजाज़त देता है व व्यापार करने की नहीं। के पी सी पी 2 के अन्त में सब बचा हुआ कैन्सिल हो जाएगा। हम इस प्रोपोज़ल का समर्थन करते हैं और ई यू व अन्य साझेदारों से बची हुई माता को समाप्त करने के लिए जोर शोर से समर्थन देने के लिए कहते हैं। यह आवश्यक है कि देश बाज़ार की नई प्रणालियों को कार्यान्वित करने से पहले अपने स्राव के लक्ष्य को कम करें व भत्ते के लूप होलों को बन्द करें।

इन राष्ट्रीय व क्षेत्रीय प्रणालियों में दो बार गणना हो जाने व कमज़ोर गुणवत्ता के मानकों के ख़तरे को आँकना मुश्किल है। **अखंडता के एक न्यूनतम स्तर को तय कर पाने के लिए यह ज़रूरी है कि इन प्रणालियों के लिए यू एन एफ सी सी सी के स्तर पर कुछ आन्तरिक गुणवत्ता की स्थापना की जाए।**

अखंडता के एक न्यूनतम स्तर को तय कर पाने के लिए यह ज़रूरी है कि इन प्रणालियों के लिए यू एन एफ सी सी सी के स्तर पर कुछ आन्तरिक गुणवत्ता की स्थापना की जाए।

नल्लाकोंडा विंड फार्म सी डी एम प्रोजेक्ट - एक अच्छे सिद्धान्त का ठीक से लागू न होना

डॉ लीना गुप्ता,
वरिष्ठ वैज्ञानिक,
सोसाइटी फॉर
प्रोमोशन ऑफ
वेस्टलैन्ड डेवेलपमेन्ट

साफ किए गए वन
सी पी डब्लू डी के सौजन्य से

हवा की शक्ति एक ऐसी बढ़िया स्वाभाविक रूप से पुन: पैदा होने वाली ऊर्जा है परन्तु यदि इसे गलत स्थान पर डाल दिया जाए तो इसके स्थानीय रोज़गार व संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। इस लेख में यह बताया गया है कि कैसे स्थानीय पर्यावरण की बहाली के प्रयत्नों को एक विंड पार्क की स्थापना करके नेस्तनाबूद कर दिया गया व क्यों इस प्रोजेक्ट को कार्बन क्रेडिट नहीं प्रदान करने चाहिएँ।

आज से 20 वर्ष पहले आंध्र प्रदेश का अनंतपुर ज़िला एकदम बंजर था - रेगिस्तान की तरह व कटाव से आहत। 2 साल तक एक स्वैच्छिक संस्था टिम्बकटू कलेक्टिव ने आठ गॉवों के साथ मिलकर काम करके इस क्षेत्र को धीरे धीरे पोषित किया व इसमें जान फूँकी। 7000 एकड़ ज़मीन सुरक्षा के दायरे में लाई गई व कोगिर, मुश्तिकोविला, श्यामपुरम और कम्बलपल्ली गावों में रहने वाले लोगों के साथ मिलकर 'कल्पवल्ली ट्री ग्रोअर्स कोअपरेटिव' के नाम से इसमें वनों को विकसित किया गया। अब कई दशकों के इस प्रयास का क्रूरता से 50 मेगावॉट के विंड पार्क को इस क्षेत्र में लगाकर दमन किया जा रहा है।

चित्र: कल्पवल्ली के पहाड़ी व उसकी चोटी वनारोपण के बाद विंड पार्क के निर्माण से पहले। एस पी डब्लू डी के सौजन्य से

टाडाज़ विंड एनर्जी लिमिटेड ने कल्पवल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों को 48 विंड टर्बाइन लगाने के लिए चुना क्योंकि अध्ययनों के माध्यम से पता चला था कि इस क्षेत्र में विंड ऊर्जा के लिए बहुत

SPWD

सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ वेस्टलैन्ड डेवेलपमेन्ट की स्थापना 1982 में वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, सरकारी प्रतिनिधियों, उद्योगों व उस भद्र समाज की पहल से हुई जो भूमि के निम्नीकरण व उससे सम्बन्धित जीवन को सहारा देने वाली व्यवस्था को लेकर चिंतित थे। नई दिल्ली में स्थित यह संस्था उन उचित तकनीकी प्रतिकियाओं का विकास करती है जो निम्नीकरण से उबार सकें व स्थानीय संस्थाओं को मज़बूत करने के लिए आगे आ सकें।
http://www.spwd.org/

संभावना है। जबकि वह क्षेत्र तब जंगलों से भरा था तब भी सरकार व उस कम्पनी दोनों ने आमदनी के पुराने दस्तावेज़ों का वास्ता दिया जिनमें इस क्षेत्र को 'बंजर भूमि' करार दिया गया था। तब सरकार व इस कम्पनी के बीच 1 एकड़ के 48 स्थानों की बिक्री का एग्रीमेन्ट तैयार किया गया जो कि मुख्य चोटियों पर था और यह बहुत ही कम दामों पर किया गया। नल्लकोंडा विंड फार्म इन आंध्र प्रदेश'Nallakonda wind farm in Andhra Pradesh' के नाम से कम्पनी ने यह विंड फार्म प्रोजेक्ट यू एन एफ सी सी सी को क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़म (सी डी एम) में भागीदारी के लिए जमा कर दिया। इस स्कीम के तहत प्रोजेक्टों को तब कार्बन केडिट दिए जा सकते हैं जब वे स्रावों को कम करके दीर्घकालिक विकास में योगदान करें। मंजूरी मिलने पर 2020 तक करीब 900000 कार्बन केडिट मिल सकते हैं।

स्थानीय रोज़गार व संसाधनों पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव

एनवायरॉन्मेन्टल इम्पैक्ट एसेसमेन्ट (ई आई ए) स्वाभाविक रूप से पुन: पैदा होने वाले ऊर्जा के प्रोजेक्टों के लिए भारत में ज़रूरी नहीं है। इसलिए कम्पनी ने कोई भी विधिवत ई आई ए या सोशल इम्पैक्ट असेसमेन्ट (एस आई ए) अध्ययन नहीं किया है। हालांकि प्रोजेक्ट के पास के समुदायों ने पर्यावरण पर इसके कई नकारात्मक प्रभावों की पहचान कर ली है जैसे कि भारी मात्रा में वनों का कटान, भूमि को नुकसान, पानी के स्रोतों का दूषण और प्रोजेक्ट के कार्यों के कारण जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव। पी डी डी के अनुसार: ".... प्रोजेक्ट के कार्यों से पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिए कोई ई आई ए अध्ययन नहीं किया गया। इस प्रोजेक्ट के कार्यों के कार्यान्वन के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ते (पी डी डी का पेज 29 PDD).

प्रोजेक्ट को लगाने के कार्य के समय विंड ऊर्जा कम्पनी ने राष्ट्रीय व राज्य स्तर के कई वन सुरक्षा व जैव विविधता के बचाव के कई नियमों का उल्लंघन किया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ है जो कि है "सबके लिए जीवन का अधिकार" व वन की परिभाषा जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है उसका निरादर किया गया है। **भारतीय सरकार से मान्यता का पत्र जो कि सी डी एम में भागीदारी करने के लिए अनिवार्य होता है इस कारण से नहीं दिया जा रहा है।**

इस क्षेत्र के सभी पहाड़ियों की चोटियाँ सपाट हो गई हैं और उन पर से पेड़ पौधे भी विलुप्त हो गए हैं। इनकी ढलानों पर 3 से 4 मीटर गहरे कटान किए गए हैं ताकि सड़कें बनाई जा सकें परन्तु ऐसा करने के लिए भूमि कटान को रोकने के लिए दीवारों को सहेज कर नहीं रखा गया है। पिछले मानसून की बारिश में सभी सड़कें ढह गईं व भूमि के वह जाने से भू स्खलन हो गया जो कि उस क्षेत्र के पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इन कटानों के कारण जानवरों को पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल हो गया है व उनके चारे के लिए मैदानों में जाने का रास्ता बन्द हो गया है। पहाड़ के नीचे के जल स्तर को भी इस कटान से नुकासान पहुँचा है जिससे पानी प्राप्त होने में भी बहुत कमी आई है। निर्माण का बहुत सा मलबा खेतों व पानी के स्त्रोतों में चला गया है जिसके कारण पानी के संसाधानों व पशुओं को और भी खराब असर हुआ है। हालातों को और भी बदतर बनाने के लिए निर्माण के कार्यों के लिए बहुत पानी की आवश्यकता थी और अब विंड मिलों को ठंडा करने के लिए भी और पानी की ज़रूरत है। कम्पनी यह पानी गॉवों के परम्परागत जल स्त्रोतों से बगैर इजाज़त व अक्सर बगैर पैसे के लेती है। यदि कभी पैसा दिया भी जाता है तो वह बहुत ही कम होता है।

प्रभावों का ठीक से विश्लेषण जिसमें कि स्थानीय साझेदारों के साथ चर्चा भी शामिल होती उससे सी डी एम प्रोजेक्टों के साथ होने वाली इन समस्याओं को पहचाना जा सकता था और उस नुकसान से बचा जा सकता था जो कि जीविकाओं व पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही हैं व क्षतिपूर्ति की वर्तमान ज़रूरत भी पूरी की जा सकती थी।

यह सी डी एम प्रोजेक्ट अनुमोदित नहीं होना चाहिए

इस प्रोजेक्ट के न केवल स्थानीय जीविका व संसाधानों पर नकारात्मक प्रभाव हैं परन्तु प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेन्ट (पी डी डी) में कारकों/मानदन्डों/तथ्यों के सत्यापन में कमी है जो कि सी डी एम प्रोजेक्ट को सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड की मान्यता को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी हैं। सी डी एम के द्वारा यू एन एफ सी सी सी को दी गई टिप्पणी को यहॉ देखें here.

चित्र गैर कानूनी सड़क

चित्र कटाव

एक नज़र में प्रोजेक्ट के प्रभाव

- अवैध सड़क निर्माण के कारण अत्यधिक भूमि कटान
- विंड पार्क की सामग्री को लाने ले जाने के लिए हुए सड़कों के निर्माण से 200 हेक्टेयर में वनस्पती को नुकसान
- विंड पार्क की कम्पनी के द्वारा निर्माण कार्यों के लिए पानी का अनाधिकृत प्रयोग
- पहाड़ियों की चोटियों का कटान व वन कटान (वनस्पती वाली 48 एकड़ भूमि 48 विंड मिलों को लगाने के लिए नष्ट)
- जल स्त्रोतों व खेतों को नुकसान (अवसादन, निर्माण का मलबा)
- चारागाहों के रास्तों को भारी नुकसान
- लाभ व ऊर्जा की बॉट में स्थानीय समाज को कोई हिस्सा नहीं
- पैकिंग सामग्री व निर्माण के मलबे के कारण प्रदूषण
- बहुत अधिक निवेश - रोज़गार की अत्यधिक कम संभावना, स्थानीय जीविका के तरीकों का नष्ट होना

इसके साथ साथ और जो हुआ है वह यह है कि इस सी डी एम प्रोजेक्ट की चर्चा की प्रक्रिया में स्कीम के बाहर भी बहुत सारी कमियाँ पाई गई हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुसार गाँवों में पंचायतों (शासन की वह सबसे छोटी इकाई जो गाँवों के एक समूह से बनी हुई होती है) व ग्राम सभाओं (वह मीटिंग जहाँ कि मत दे सकने वाले सभी बालिग लोग भाग लेकर अपना मत किसी भी विषय पर दे सकते हैं) को बहुत से अधिकार सौंपे गए हैं। परन्तु फिर भी न तो राज्य सरकार व न तो कम्पनी ने यह ज़रूरी समझा कि प्रोजेक्ट को लगाने से पहले इस मामले की चर्चा इन स्थानीय शासकीय संस्थाओं के साथ की जाए। केवल सरकारी कर्मचारियों व चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ ही मीटिंगें की गईं जो कि पहले से ही इन विंड फार्मों को लगाने के इच्छुक थे क्योंकि इनमें काफी ज़्यादा निवेश था व इनसे निजी तौर पर इन अधिकारियों को बहुत सा लाभ मिलने वाला था। साझेदारों के साथ परिचर्चा की मीटिंग का सही तरीके से प्रचार नहीं किया गया और अधिकतर गाँव वालों को इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी और उन्हें कुछ मालूम नहीं था। इस मीटिंग की घोषणा स्थानीय अख़बार में अंग्रेज़ी में की गई थी जो कि ज़्यादातर गाँव वालों को समझ में नहीं आती है। प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय गाँव वालों के साथ बातचीत के बाद इस बात की पुष्टि हो गई थी कि गाँव में या गाँव में होने वाली स्थानीय मीटिंगों में या फिर स्थानीय भाषा के ज़्यादा पढ़े व समझे जाने वाले अख़बारों में इस मीटिंग की कोई घोषणा नहीं की गई थी और न ही कोई नोटिस लगाया गया था। इसका पता तब चला जब कि सड़कों को बनाने की बात आई व स्थानीय समाज को साथ में लेने की प्रक्रिया बहुत से वादों के साथ आरम्भ की गई। जब इस बात को लेकर चिंता प्रकट की गई कि पास में चरने वाले जानवरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा तब गाँव वालों को यह आश्वासन दिया गया कि इस प्रोजेक्ट का जानवरों के चारागाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा परन्तु वास्तव में ऐसा हुआ नहीं है। **इस प्रोजेक्ट के साझेदारों की चर्चा की प्रक्रिया में बहुत सी खामियाँ पाई गई हैं इसलिए इस प्रोजेक्ट को विधिमान्य नहीं किया जाना चाहिए।**

उपयुक्त ई आई ए और एस आई ए प्रक्रिया के बगैर विंड पावर प्रोजेक्ट आसानी से दीर्घकालिक विकास जिसके लिए उनका मुख्यत: निर्माण किया जाता है उसे ही कम कर देते हैं। स्थानीय लोगों के जीवन को सहारा देने वाली प्रणाली जो कि किसी भी प्रोजेक्ट का एक अन्तरंग हिस्सा होती है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के कारण लाभ व लागत के विश्लेषण को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ एन्वायरॉन्मेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट (ई आई ए) व सोशल इम्पैक्ट असेसमेन्ट (एस आई ए) का अनिवार्य प्रावधान विंड पार्कों के निर्माण व अन्य स्वयं पैदा होने वाले ऊर्जा स्त्रोतों के लिए होने से इस बात का पहले से सही आकलन किया जा सकता है कि होने वाला नुकसान कितना होगा और तब ही कम्पनियों को अनुमति दी जानी चाहिए।

इस केस से यह भी पता लगता है कि जब जैव विविधता संरक्षण व समाज के अधिकारों के बचाव के लिए कन्वेशन ऑन बायलॉजिकल डाइवर्सिटी (सी बी डी) के तहत अर्न्तराष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं तो नकारात्मक प्रभाव वाले सी डी एम प्रोजेक्टों से मिली हुई शिक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। चर्चा व प्रभाव के विश्लेषण के नियमों को मज़बूत करने व सुरक्षित रखने की आवश्यकता है और इसके साथ शिकायतों के निवारण की प्रणालियाँ भी लाने की ज़रूरत है। स्थानीय समुदायों को मुख्य साझेदारों के रूप में मान्यता देकर जैव विविधता व प्राकृतिक संसाधानों का संरक्षण किया जा सकता है। कोई भी प्रोजेक्ट जो बचाव के तरीकों का उल्लंघन करता है या फिर पर्यावरण या लोगों की जीवका को नुकसान पहुँचाता है को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता जो कि जैव विविधता या मौसम के नाम पर की जाए उसके लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।

इस प्रोजेक्ट पर अधिक जानकारी के लिए व इसके प्रभावों और इसे मान्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए हमारी यू एन एफ सी सी सी को ग्लोबल स्टेकहोल्डर कन्सलटेशन पीरियड में दी गई टिप्पणी में यहाँ here. देखें

आगे क्या होना चाहिए?

- उन पुनर्निर्माण कार्यों का आरम्भ जिनसे सड़कों के बनाए जाने से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।
- चारागाहों पर बाधित हुई प्रक्रिया के कारण हुए जीविका व वनों के लकड़ी के अतिरिक्त उत्पादों से मिलने वाले रोज़गर के नुकसान को पूरा करना।
- सी डी एम के प्रोजेक्ट के विधिमान्य दर्जे को ख़ारिज करना क्योंकि इसमें स्थानीय साझेदारों की चर्चा की प्रक्रिया व अतिरिक्तता के नियमों का उल्लंघन हुआ है।
- भारत में विंड पार्क बनाने के लिए ई आई ए एस आई ए का एक अनिवार्य प्रावधान होना चाहिए।

कल्पवल्ली जैसा अब दिखाई देता है - सी पी डब्लू डी के सौजन्य से

कार्बन के अधिग्रहण से ग्रामीण आजीविका में सुधार:

सी डी एम के भारत में यूक्लिप्टस रोपण पर किसानों के निजी अनुभव

देबजीत सारंगी,
लिविंग फार्मस्

भारत में भूमि को कई प्रकार से हड़पा जाता है जिसमें कार्बन अधिग्रहण के लिए मोनोकल्चर रोपण का विस्तार करना भी है। अक्सर निजी कम्पनियॉं यूक्लिप्टस के पेड़ों को उगाने के लिए किसानों को अधिक आमदनी का लालच देकर ठेके पर लेती हैं जो कि कथित रूप से कागज़ बनाने के लिए कच्चे माल के लिए होता है। यह सोच कर कि शायद यह उन्हें गरीबी से निकालने का आसान तरीका होगा कई किसानों ने इसमें भाग लेकर भयंकर परिणामों को भुगता है। यह लेख उन प्रभावों पर नज़र डालेगा जो अफॉरेस्टेशन (वनरोपण) और रीफॉरेस्टेशन (पुनरोपण) ए/आर प्रोजेक्ट स्थानीय किसानों पर डालते हैं।

अप्पाराव हिक्कोका नामक किसान की कहानी

सन 2000 में जे के पेपर लिमिटेड (जे के पी एल) व उत्कल ग्राम्य बैंक के कुछ अधिकारी अप्पाराव हिक्कोका, जो कि एक ओड़ीसा के रायगढ़ ज़िले के सनाबृन्दाबदी गॉव की जनजाति का एक 54 वर्षीय किसान था उसके पास यूक्लिप्टस के रोपण का प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने उसे यह आश्वासन दिया कि ऐसा करने से वह अभी तक अपने द्वारा की गई खेती से ज़्यादा कमा लेगा। उसके मान जाने पर उसे उसकी 2 एकड़ ज़मीन के लिए 48000 रूपए (768 यूरो) का एक लोन दिया गया जिसमें 12 प्रतिशत का संचयी ब्याज था। परन्तु वास्तव में उसे केवल आधा पैसा ही मिला। बाकी के आधे को यूक्लिप्टस के 8000 पौधे जो कि जे के पी एल की नर्सरी से आए थे उनकी लागत के रूप में काट लिया गया। जो आधा अप्पाराव को मिला था वह उसने रासायनिक कीटनाशक को खरीदने व पौधों को रोपने के लिए लगाए गए अतिरिक्त मज़दूरों को देने में खर्च कर दिया। फिर वह पहली पैदावार के लिए रूका रहा। 2007 में उसे 65000 रूपए (1040 यूरो) एक अच्छी आमदनी हुई। इसके बाद कम्पनी ने क्या किया वह अपपाराव के लिए बहुत ही भयावह था। उन्होंने उसकी पूरी कमाई ले ली और उसे उसके लोन व ब्याज में एडजस्ट कर दिया। उसे बहुत ही गुस्सा आया और दुख भी हुआ परन्तु वह मजबूर था और उसे इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि उसे बार बार हर पैदावार के बाद यही भुगतनाठ पड़ेगा। अब 11 वर्ष हो चुके हैं और उसके खतों में अभी भी यूक्लिप्टस के पेड़ उग रहे हैं परन्तु अपपाराव हिक्कोका के लिए वे उसका दिल टूटने का लगातार कारण भी बने हुए हैं। उसके ऋणग्रस्त रहने का चक्र टूटा नहीं है और इसने उसे और भी गरीब बना रखा है।

किसान नरी प्रसाका की कहानी

मझियालामा गॉव में प्रत्येक वर्ष नरी प्रसाका को अपने 4 एकड़ (1.6 हेक्टेयर) के खेतों से 800 किलो बाजरा, 400 किलो ज्वार और 100 किलो अरहर मिलता था। उसके 6 सदस्यों के परिवार को अपनी ज़मीन से मिले पौष्टिक भोजन से चलाता था व वह 2000 रूपए (31 यूरो) उसमें से अतिरिक्त अनाज को बेच कर कमा भी लेता था। कुपोषण व भोजन की कमी कभी उसके लिए समस्या नहीं थी। इसका श्रेय उसके द्वारा मिली जुली खेती करने की प्रणाली को जाता था। हालांकि जबसे उसने यूक्लिप्टस उगाना शुरू किया उसके लिए सब कुछ बदल गया है। अब हर वर्ष उसके परिवार को 4 महीनों के लिए भोजन की कमी का सामना करना पड़ता है। सनाबृन्दाबदी में उसके साथी किसान अप्पाराव हिक्कोका ने कहा कि वह यूक्लिप्टस लगाने से पहले 6 प्रकार के ज्वार, दो प्रकार की दालें व तेल के बीजों की खेती करता था। आज हिक्कोका की ही तरह प्रसाका को भी अपने परिवार के लिए बाज़ार से भोजन खरीदना पड़ता है क्योंकि यूक्लिप्टस की पैदावार से प्राप्त पैसों से केवल साल के 4 से 5 महीनों तक ही उसके परिवार का पेट भर सकता है।

Living Farms

लिविंग फार्मस् लोगों के आन्दोलनों व जनजातियों के साथ उनकी भूमि व खेती को औद्योगीकरण से बचाने के लिए काम करता है। इसका लक्ष्य स्थानीय संसाधनों पर आधारित पारिस्थितकीय खेती को बढ़ावा देना है। आप लेखक के साथ यहॉं सम्पर्क कर सकते हैंः
debjeet2002@gmail.com

इस लेख के कुछ भाग पहले लीसा इन्डिया, दिसम्बर 2011, वॉल्यूम 13, नम्बर 4 में प्रकाशित हो चुके हैं। यह लेख Third World Network. में भी शामिल किया जा चुका है।

अधिक किसान दिवालिए हो रहे हैं

सनावृन्दाबदी के चार अन्य किसानों ने भी इसी तरह की स्थिति का अपना अनुभव बताया है। उनके लिए यह इनसे ज़्यादा बड़ी गलती थी। जो दाम उन्हें यूक्लिप्टस की पैदावार से मिलते हैं वे उनके लोन को पूरा करने के लिए भी काफी नहीं होते। सनावृन्दाबदी के किसानों के अनुभव को रायगढ़ ज़िले के कम से कम 7 अन्य गॉवों के किसानों ने भी बॉटा है। जे के पी एल का यूक्लिप्टस रोपण से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तीन ज़िलों (रायगढ़, कालाहॉडी और कोरापुट्ट श्रीकाकुलम, विज़ियागनगरम और विशाखापट्टम) की करीब 3000 हेक्टेयर भूमि में किया गया है।

यूक्लिप्टस : एक गलत चुनाव

एक भावी औद्योगिक फसल होने के बावजूद कई किताबी संदर्भो के अनुसार यूक्लिप्टस एक अनुचित फसल होती है जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री प्रणाली में प्रयोग की जाती है। यह इसलिए है क्योंकि यह कुछ ऐसे दमनकारी पदार्थों का स्राव करती है जो कि पास में उगने वाले पेड़ पौधों को उनके ऊर्जा की रस प्रकिया, कोशिकाओं के बढ़ने, खनिजों से पोषण लेने व बायोसिंथेटिक प्रकियाओं पर असर डाल कर उनके उगने को प्रभावित करते हैं। यह बहुत अधिक पानी पीने वाला पौधा भी होता है। यूक्लिप्टस को भारत में सबसे पहले 20वीं सदी के शुरू में कागज़ बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में लाया गया था। सन 2000 के बाद से पेपर मिलों ने इन पेड़ों की अन्य कीमत को भी पहचानना शुरू कर दिया था जैसे कि ये किस प्रकार "कार्बन सिंक" की तरह काम में आते हैं। 2004 में वेदा सी डी एम कम्पनी जो कि व्लर्ड बैंक बायो कार्बन फंड की एक सहयोगी है उसने जे के पी एल से सी डी एम के अर्न्तगत यूक्लिप्टस के रोपण करने के लिए सम्पर्क किया। वेदा का मानना है कि 2011 से करीब 600 हेक्टेयर ज़मीन में सी डी एम के अर्न्तगत उड़ीसा में यूक्लिप्टस का रोपण किया गया है।

लाभ किसे मिल रहा है?

भारत "हरी अर्थव्यवस्था" को बढ़ावा देता है ताकि कार्बन सिंक को जनता में मान्यता मिल सके। इसका सार है कि वह विकसित देशों को यह बताना चाहता है कि " जाकर अपनी तेल पीने वाली गाड़ी खरीदो और अपने जी एच जी का स्राव करो क्योंकि आप तो हमारे कार्बन केडिट खरीद सकते हो।" इस स्कीम के द्वारा न केवल दीर्घकालिक होने का झूठा अहसास होता है परन्तु यह कम्पनियों के लिए व्यापार के अवसर स्थानीय जनता के खर्चे पर प्रदान करती है। यह व्यंग्यपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा जॉचे हुए सी डी एम प्रोजेक्ट का नाम कुछ इस तरह का है "पर्यावरण के मित्र वाली तकनीकों पर आधारित एग्रोफॉरेस्ट्री के तरीकों को अपना कर कार्बन अधिग्रहण के द्वारा ग्रामीण जीविका में सुधार" *'Improving Rural Livelihoods Through Carbon Sequestration by Adopting Environment Friendly Technology Based Agroforestry Practices'.* । इसके प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेन्ट (पी डी डी) में यह कहा गया है कि कार्बन केडिटों से किसानों को लाभ मिलेगा। जे के पी एल वेदा व किसानों के बीच हुए समझौता जिसे व्लर्ड बैंक ने मान्यता दी है, उसमें कहा गया है कि कार्बन केडिटों का कुछ प्रतिशत किसानों की अतिरिक्त आमदनी के रूप में जमा होता रहेगा। परन्तु फिर भी रायगढ़ ज़िले के करीब सात गॉवों के किसान जिन्हें यूक्लिप्टस रोपण करने के लिए "धोखे से फॅसा" लिया गया था (उनके अनुसार) उन्हें कार्बन अधिग्रहण में उनकी भूमिका, वो जो केडिट कमा सकते हैं, और न ही जो आमदनी उनको उससे हो सकती है उसके विषय में कभी भी बताया नहीं गया था। यह तय हुआ था कि कार्यान्वित करने वाली कम्पनी व्लर्ड बैंक बायो कार्बन फंड के कार्बन केडिटों से मिलने वाली रकम (किसान -जे के - वेदा समझौते के केस में कम से कम 80 प्रतिशत) को लेकर किसानों के खातों में जमा करवा दिया करेगी। किसानों के लिए राजस्व का हिस्सा 150 से 200 रूपए (2.3 से 3 यूरो) प्रति टन या 5000 से 7000 रूपए (77 से 108 यूरो) प्रति एकड़ होगा।

पी डी डी के अनुसार किसानों को कार्बन केडिटों से लाभ मिलना चाहिए। अभी तक उन्हें कुछ भी भुगतान नहीं किया गया है और वे अपना लोन ही चुकाने के संघर्ष में लगे हैं

यह कहना ज़्यादा नहीं होगा कि रायगढ़ ज़िले के किसानों को आशंका है कि जे के पी एल शायद उनके उगाए हुए यूक्लिप्टस से दोगुना मुनाफा कमा रही है - कागज़ उत्पादन व कार्बन केडिट से और उन्हें इस विषय में अंधेरे में रखने का प्रयत्न कर रही है। सी डी एम में भाग लेने वाली कम्पनियों को सही तरीकों व तकनीकों और मार्गदर्शन को प्रदान करना चाहिए। परन्तु किसान लगातार शिकायतें करते रहते हैं कि उन्हें यूक्लिप्टस रोपण के खेती व पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के विषय में जानकारी नहीं दी गई थी।

एक अलग तरीके का भूमि हड़पना

जब किसानों का दिवालिया निकल जाता है और उनके पास पोषक तत्वों व जल संसाधनों से रहित भूमि बाकी बच जाती है जो कि भोजन उगाने के लिए सही नहीं होती तो यह एक प्रकार का उनकी ज़मीन हड़पने के जैसा ही होता है। जैसे कि अप्पाराव हिक्कोका का बहस करना है कि उसके पास ज़मीन ज़रूर है परन्तु वह केवल मृत ज़मीन मात्र ही है। जैसे कि इन किसानों के वक्तव्यों से दिख रहा है कि ऐसा कुछ भी को के पी एल के यूक्लिप्टस रोपण में नहीं है जो कि या तो स्वच्छ हो या विकासपूर्ण - या वह कागज़ बनाने के लिए हो या कार्बन अधिग्रहण के लिए व वह उनकी आर्थिक बेहतरी के लिए भी कुछ करने में असमर्थ है। जिस स्थिति में वे स्वयं को देख पा रहे हैं वह एक दर्दनाक मोनो कल्चर के जाल में फॅसी हुई है जिसमें मानसिक आघात है जिसे भूलने में शायद उन्हें बहुत समय लगेगा।

देखने पर न जाएँ
जे के पेपर मिल ए एन्ड आर सी डी एम प्रोजेक्ट कम्पनी के लिए दोहरे मुनाफे का व स्थानीय जनता के लिए भारी नुकसान का है

रंजन के पॉडा, कन्वीनर, "वॉटर इनिशिएटिव्स ओदीशा"

ओदीशा के कालाहॉडी ज़िले के कौगुडा गॉव के दीनाबंधु गंद से मिलकर यह पता चला कि सी डी एम के वनरोपण व पुनरोपण के प्रोजेक्ट वास्तव में जिसके लिए वे बने हैं उसका उल्टा कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहॉ पर पहले से ही मौसम में बदलाव से ज़्यादा सालाना सूखे पड़ रहे हैं यह व्यापार जो कि मौसम में कमी लाने के नाम पर किया जा रहा है इससे वास्तव में लोगों पर दोगुना प्रभाव पड़ रहा है। यह सी डी एम के अर्न्तगत वनारोपण व पुनरोपण व उनके स्थानीय समुदायों पर दुष्प्रभाव को लेकर गम्भीर चिंताएँ खड़ी कर रहा है।

दीनाबंधु जो कि काफी गरीब व हाशिए पर रहने वाले एक किसान हैं के पास 2 एकड़ व 20 दशमलव भूमि है। जितना छोटा उनका खेत है उतना तो है परन्तु उसने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया। ओदीशा के ज़्यादातर किसानों की ही तरह वह भी स्थानीय चीज़ों की इकोलॉजिकल खेती कर रहे थे जो कि अलग अलग उपजों पर आधारित थी। उन्होंने समझाया कि "धान के साथ साथ अनाज, दालें, ज्वार बाजरा और सब्जियॉ उगा कर मेरे तीन सदस्यों के परिवार के लिए के लिए एक साल के लिए वे पूरी पड़ जाती थीं। हमने उड़द, तिल व सब्जियों को बेच कर कुछ पैसा भी कमाया था। हालांकि हमारा क्षेत्र सूखा ग्रस्त क्षेत्र है और हमारी खेती मुख्यत: वर्षा के भगवानों पर निर्भर रहती है।"

5 वर्ष पहले जे के मिल्स के एक अधिकारी उनसे मिलने आए और उनसे जिस प्रकार की खेती वे कर रहे थे उसे त्यागने के लिए कहा और उसके स्थान पर यूक्लिप्टस उगाने के लिए कहा। दीनाबंधु ने बताया "उन्होंने मुझसे कहा कि मैं प्रति एकड़ 60 से 70 हज़ार रूपए कमा सकता हूँ यदि मैं यूक्लिप्टस को उगाऊँ और मुझे सब प्रकार की मदद का आश्वासन भी उन्होंने देने का वचन दिया।"

जिस सी डी एम प्रोजेक्ट की जे के पेपर मिल बात कर रहे हैं उसका नाम "पर्यावरण के मित्र वाली तकनीकों पर आधारित एग्रोफॉरेस्ट्री के तरीकों को अपना कर कार्बन अधिग्रहण के द्वारा ग्रामीण जीविका में सुधार" "Improving Rural Livelihoods Through Carbon Sequestration By Adopting Environment Friendly Technology based Agroforestry Practices" है व वह 28 फरवरी 2011 को यू एन एफ सी सी सी में पंजीकृत हुई है। अभी तक दीनाबंधु जैसे किसानों के निजी अनुभवों से यह पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट ने सभी लाभान्वित होने वाले लोगों का दिवालिया निकाल दिया है। परन्तु फिर भी अभी तक व्लर्ड बैंक बायो कार्बन फंड के द्वारा चलाये जा रहे इस प्रोजेक्ट ने कार्बन डाय ऑक्साइड की सालाना कमी को 324269 मीट्रिक टन पर करने का आश्वासन दिया है। यदि हम प्रोजेक्ट के नाम से जाते हैं तो इसे दीर्घकालिक एग्रो फॉरेस्ट्री प्रणालियों को बढ़ावा देना चाहिए।

जबकि दीनाबंधु व इसके सहयोगी किसान बैंक के ऋणी हो कर रह गए हैं प्रोजेक्ट से जुड़ी कम्पनी का कहना है कि उन्होंने लोगों की सहभागिता लेकर ही काम किया है व कई लोग तो स्वैच्छिक रूप से उनसे जुड़ गए हैं। फिर भी दीनाबंधु का कहना है कि "मैं इन सब चीज़ों के विषय में कुछ नहीं जानता पर मैं यह ज़रूर समझता हूँ कि यदि यहॉ पर अच्छा सा प्राकृतिक वन होता जो कि किसानों को जीवन भर जीविका देता है तो क्यों एक दानवीय पेड़ जैसे कि यूक्लिप्टस को उगाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।" प्रोफेसर अर्तावंथु मिश्रा, जो कि सम्बलपुर विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं उन्होंने बहुत व्यापक अनुसंधान इस पेड़ के पर्यावरण पर प्रभावों पर कर रखे हैं ,का कहना है कि यूक्लिप्टस पानी को पूरे क्षेत्र से पूरी तरह से चूस लेता है और पर्यावरण को लाभ की बजाय नुकसान पहुँचाता है। इनका मानना है कि यूक्लिप्टस के स्थान पर परम्परागत एग्रो फॉरेस्ट्री न केवल कार्बन सिंक हो सकती है परन्तु वह खेती को मौसम के बदलावों से बचा कर भूमि की उपजता को बढ़ा कर खेतों में पानी का संचयन भी करेगी। यूक्लिप्टस के साथ भूमि की उपजता घट जाती है और जल संसाधन सूख जाते हैं। वास्तव में अधिकतर सी डी एम प्रोजेक्ट जो पुनरीक्षण के लिए आते हैं वह इसी प्रकार के होते हैं और वे भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये लाभकारी नहीं हैं। इसलिए इन प्रोजेक्टों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए विशेषकर पर्यावरण व गरीबों की कीमत पर।

Water Initiatives Odisha

रंजन के पॉडा, कन्वीनर, "वॉटर इनिशिएटिव्स ओदीशा", देश के अग्रणी जल अनुसंधानिक व प्रैक्टिशनर और एक सीनियर जर्नलिस्ट। इनके साथ यहॉ पर सम्पर्क किया जा सकता है ranjanpanda@gmail.com.

इस लेख का मुख्य भाग लेखक के द्वारा टेरा ग्रीन पत्रिका के लिए लिखा गया था।

इसलिए इन प्रोजेक्टों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए विशेषकर पर्या वरण व गरीबों की कीमत पर

सी डी एम में पुनचक्रण को मान्यता

मारियेल विलेला - जी ए आई ए की क्लाइमेट पॉलिसी कन्वीनर

Courtesy: Gaia

हमें कुछ अच्छा समाचार आपके साथ बॉटना है। पिछले दो वर्षों में जी ए आई ए व ग्लोबल अलायेन्स ऑफ वेस्ट पिकर्स के द्वारा किए गए गहन प्रचार की मदद से क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़म (सी डी एम) ने अन्ततः उन प्रोजेक्टों को दी जाने वाली सहायता को वापस ले लिया है जो ग्लोबल दक्षिण में पुनःचक्रण के दर को कम करते हैं।

जैसा कि हाल में प्रारम्भ किए गई प्रणाली के योग्यता मानदंडों में पढ़ा जा सकता है कि ACM0022 for 'alternative waste treatments': सी डी एम की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट को यह दिखाना अनिवार्य होगा कि उसके कारण पुनःचक्रण की दर में नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता।

सी डी एम प्रोजेक्टों के नए नियम ज़मीन से जुड़े पुनःचक्रण करने वालों के द्वारा पिछले वर्षों में किए गए सबसे मज़बूत दावे को मान्यता देते हैं : सी डी एम की मदद से लगे लैन्ड फिल की गैस प्रणाली व भट्टियाँ उनके साथ प्रतिस्पर्धा करके म्यूनिस्पैलिटी के ठोस कूड़े की लहर को नियन्त्रित कर करती हैं ताकि पुनःचक्रण के योग्य या खाद बनाने के योग्य सामग्री को अन्त में ज़मीन में दफनाया जाए या फिर जलाया जाए। इस मुद्दे से न केवल कूड़ा बटोरने वालों की जीविका पर असर पड़ा परन्तु ग्रीन हाउस गैस स्राव (जी एच जी) में भी इज़ाफा हुआ क्योंकि पहले से होने वाले पुनःचक्रण को अच्छी तरह पीछे कर दिया गया था।
इस नए नियम का सीधा असर यह हुआ है कि जो प्रोजेक्टकर्त्ता सी डी एम का सहारा लेंगे उन्हें यह सबूत देने होंगे यदि वह भट्टी या लैंडफिल गैस प्रणाली या रिफियूज़्ड ड्राई फयूअल प्लांट लगाना चाहते हैं तो पुनःचक्रण को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा।

हालांकि देखना यह है कि प्रोजेक्ट विकासकर्त्ता ऐसा करेंगे कैसे? क्या वे ज़मीन से जुड़े पुनःचक्रण करने वालों की सहकारी समितियों के पास जाकर पुनःचक्रण की दर के विषय में जानकारी लेंगे? वे इस बात पर बहस कैसे करेंगे कि लैंड फिल गैस प्रणाली वास्तव में पुनःचक्रण को होने वाले नुकसान को कम करती है? प्रोजेक्ट विकासकर्त्ताओं की वास्तविकता को छिपाने की क्षमता को नकारा नहीं जा सकता है परन्तु उन्होंने हमेशा से स्थानीय पुनःचक्रण क्षेत्र की अनदेखी की है तो उनसे इसका पालन करवाने के लिए यह माना जा सकता है कि कुछ और नियमों को लागू करने की प्रकिया व फॉलो अप की आवश्यकता है। **सारतः यह कहा जा सकता है कि यह ज़रूरी है कि ज़मीन से जुड़े स्तर पर कूड़ा बटोरने वालों को संगठित व सुरक्षित किया जाए तो ध्यान रहे कि जो प्रोजेक्ट पुनःचक्रण को प्रभावित करेगा उसको अब खेल से बाहर किया जाएगा।**

जी ए आई ए (ग्लोबल अलायेन्स फॉर इन्सनेरेटर ऑल्टरनेटिव्स) संसार में फैला हुआ एक गठबंधन है जो कि 600 से भी अधिक ज़मीन से जुड़े हुए समूहों, गैर सरकारी संस्थाओं व 93 से ज़्यादा देशों के नागरिकों से बना हुआ है व जिसकी अन्तिम दूरदर्शिता एक निष्पक्ष, ज़हर मुक्त बगैर जलाने वाली दुनिया का होना है
www.no-burn.org

सी डी एम के कूड़ा प्रोजेक्टों पर अन्य जानकारी:

यूरोपीयन यूनियनस् डबल स्टैन्डर्डस् ऑन वेस्ट एन्ड क्लाइमेट पॉलिसी से पता चलता है कि सी डी एम की मदद से चल रहे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट (एम एस डब्लू) प्रोजेक्टों में कितनी कमियाँ हैं। रिपोर्ट को आप यहाँ देख सकते हैं
http://www.no-burn.org/-1-12

सी डी एम केस स्टडीज़ : क्लीन डेवेलपमेन्ट मैकेनिज़म इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट ने चार केस स्टडी प्रस्तुत की हैं जो यह दिखाती हैं कि किस प्रकार भट्टियाँ व लैंड फिल जी एच जी एमिशन, ज़हरीले स्राव बढ़ाते हैं व पुनःचक्रण को कम करते हैं और अनौपचारिक पुनःचक्रण करने वालों को उनके स्थान से बेहतर विकल्प के लिए हटा देते हैं। इस केसों को आप यहाँ देख सकते हैं:
http://www.no-burn.org/cdm-case-studies

पिछले तीन वर्षों में जी ए आई ए व ग्लोबल अलायेन्स ऑफ वेस्ट पिकर्स ने वृहत रूप से प्रचार कार्यों में हिस्सा लिया है। इसमें अन्य के साथ सामान्य जनता से हस्तक्षेप, साइबर कार्य, योजनाओं में सुधार शामिल हैं। पूरी जानकारी यहाँ
http://www.no-burn.org/article.php?list=type&type=156
उपलब्ध है।

पारखी नज़र

सी डी एम पर एन जी ओ की आवाज

सूचनापट्ट :

सी डी एम वॉच का परिचर्चा मंच

यह वह स्थान है जहाँ आप संसार के साथ सी डी एम पर आपके विचारों को बाँट सकते हैं। क्या सी डी एम ने अपने लक्ष्य प्राप्त किए? आपका सी डी एम के साथ अनुभव कैसा था ? क्या आप कुछ खुलासा करना चाहेंगे ? इसका उद्देश्य अभी तक के प्रदर्शन का आकलन करना, कमियों को सामने लाना व उनसे सीख लेना है। सभी के विचारों का स्वागत है।

forum.cdm-watch.org

पर जाकर अपने विचार रखें।

CDM Watch Discussion Forum

भारत के सी डी एम वॉच नेटवर्क से जुड़ें!

पिछले 6 महीनों में हमारे भारतीय नेटवर्क ने तेज़ी पकड़ी है और हम महत्वपूर्ण सी डी एम और कार्बन बाज़ार के मुद्दों को भारत में व बाकी दुनिया में अपने मित्रों व सहयोगियों के सामने रखते हैं। हम उन्हें सी डी एम प्रोजेक्ट की जानकारी, खबरों की केन्द्रित सूचनाएँ, नेटवर्क द्वारा शुरू की गई हाल के अन्तर्राष्ट्रीय कार्बन बाज़ार के विकास व भारत पर उनके परिणामों पर परिचर्चाएँ भेजते रहते हैं। हम सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हैं व आपको नेटवर्क पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए निम्न लिंक पर जाने को प्रेरित करते हैं

Network Registration.

कोयोटो के गर्म हवा के बुलबुले को फोड़ें

देशों के पास 6 महीने से भी कम का समय है जिसमें वे उस विशाल लूपहोल को बन्द कर सकते हैं जो कि मौसम के नए दौर की व्यवहारिकता को चुनौती दे रहा है। कोयोटो प्रोटोकॉल का अतिरिक्त भत्ते के मुद्दों को सुलझाना होगा अन्यथा 2020 तक मौसम की वचनबद्धता रद्द हो जाएगी। इस अभियान पर जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए कृप्या फेसबुक पर जाकर

Burst Kyoto's "Hot Air" Bubble को लाइक करें।

सी डी एम वॉच के विषय में

CDM Watch

Scrutinizing Carbon Offsets

सी डी एम वॉच कार्बन बाज़ारों की समीक्षा करता है व एक समान और कारगर मौसम की वकालत की सुरक्षा करता है। सी डी एम वॉच की स्थापना 2009 में अन्तर्राष्ट्रीय एन जी ओ के पहल पर की गई ताकि व्यक्तिगत सी डी एम प्रोजेक्टों व राजनैतिक निर्णय प्रणाली जो वृहत कार्बन बाज़ार को प्रभावित करती है उस पर एक स्वतन्त्र नज़रिया प्रदान किया जा सके।

सी डी एम वॉच नेटवर्क एन जी ओ व दुनिया में उत्तर दक्षिण के शिक्षाविदों की सी डी एम प्रोजेक्टों व पॉलिसियों के विषय में सूचनाओं च चिंताओं को बाँटता है। इसका उद्देश्य सी डी एम व कार्बन बाज़ार के विकासों के सम्बन्ध में भद्र समाज की आवाज़ को मज़बूती प्रदान करना है।

Join the network

पारखी नज़र को प्राप्त करने के लिए कृप्या ई मेल करें
antonia@cdm-watch.org

हमसे इन पर जुड़ें | twitter @ CDMWatch and facebook

सी डी एम वॉच
Rue d'Albanie 117
1060 ब्रूसेल्स, बेल्जियम

info@cdm-watch.org
www.cdm-watch.org

डिस्क्लेमर: इस पत्रिका में रखे गए विचार लिखने वालों के अनुभव व ख्यालों पर आधारित हैं। अनिवार्य रूप से वे कहीं भी सम्पूर्ण सी डी एम वॉच नेटवर्क के मत व ख्यालों को नहीं दर्शाते।